संख्या 1973/चौवालिस-2-123/91

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों
से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 1991

विषय :- यू0पी0 स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मारर्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को बन्द किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों/अधिकारियों को निगमों/उपक्रमों में सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यू0पी0 स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन ने उक्त कारपोरेशन के कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन उपक्रमों/निगमों की सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है :-

(1) उपक्रमों/निगमों की सेवा हेतु केवल वे ही कर्मचारी/अधिकारी पात्र होंगे जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 या उससे पूर्व उक्त कारपोरेशन की सेवा में नियुक्त हुए हों तथा कारपोरेशन की बन्द होने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहे हों।

(2) निगमों/उपक्रमों की सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुभव तथा आयु विषयक शर्तें पूरा करने वाले हार्टिको के कर्मचारी/अधिकारी ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कर्मचारी, हार्टिकों में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे, जिनका कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व उक्त पद के समान है, जिस पद के लिए वे अब अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हैं।

(3) हार्टिकों के अधिकारी/कर्मचारी के लिए उपक्रमों/निगमों की सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(4) हार्टिकों की सेवा में कर्मिकों को आहरित अन्तिम वेतन को संरक्षण प्रदान किया जायेगा जिसके विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) उक्त सेवायोजन सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों के विरुद्ध ही किया जायेगा तथा संबंधित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की जावेगी।

(6) यह नियुक्तियां करते समय आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नियुक्तियां शासनादेश संख्या 1184/44-2-14/च0स0/1987, दिनांक 30-11-87 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही की जायेगी।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या 1973(1)/चौवालिस-2-123/91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।
(2) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन (दस प्रतियों सहित)।
(5) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग-2

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी,
अनु सचिव।